न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 26/2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01.खम्मुराम पुत्र अणदाराम 02.छैलाराम पुत्र अणदाराम 03.भागीस्थराम पुत्र अणदाराम 04.हडमानराम पुत्र अणदाराम जाति विश्नोई निवासीगण जागूओ की ढाणी गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी		01.गोपाराम पुत्र रामूराम 02.गोरधनराम पुत्र रामूराम 03.मोहनलाल पुत्र रामूराम 04.तीजा पत्नी रामूराम 05.कमली पुत्री रामूराम 06.तूलछी पुत्री रामुराम 07.परमा पुत्री रामूराम 08.सुखी पुत्री रामूराम जाति विश्नोई निवासी गण हीरानाडा प्राथमिक स्कूल के पास जागूओ की ढाणी गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी जोधपुर। 09.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति –

01.प्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित उपस्थितं
02.अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 की ओर से पुखराज गोदारा उपस्थित।

आदेश

दिनांक :– 10/6/2024

प्रार्थीगण ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 283/3 रकबा 1.5621 बारानी प्रथम हैक्टर वाके ग्राम गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी मे आई हुई है। अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 283/6 ग्राम गुडा विश्नोइयान मे आई हुई है जो प्रार्थीगण के चिपती हुई भूमि स्थित है तथा खसरा नम्बर 283/6 के दक्षिण दिशा मे गुडा विश्नोइयान से जांगो की ढाणी जाने वाली रोड चलती है। प्रार्थीगण गुडा विश्नोइयान से जांगो की ढाणी जाने वाली रोड से होकर खसरा नम्बर 283/6 मे से पश्चिमी मांठ के सहारे सहारे संलग्न नजरी नक्शे मे लाल रंग से बताये अनुसार पीढीयो से आते जाते है तथा आवागमन करते है तथा टेक्टर इत्यादि लेकर फसल बोते है तथा फसल लेते है इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नही है। राजस्व रेकर्ड म भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी मे होने के कारण अप्रार्थीगण ने आवागमन हेतु चल रहे रास्ते को बंद कर दिया है एव इस कारण प्रार्थीगण के लिए अपनी भूमि खसरा नम्बर 283/3 पर आवागमन मे व्यधान पैदा हो गया है। प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र के साथ एक नजरी नक्शा मोके की स्थिति बाबत पेश कर रहा है जिसमे अ से ब भाग के बीच वर्तमान मे खसरा नम्बर 283/6 मे चल रहे रास्ते को दर्शाया हुआ है इस नजरी नक्शे को प्रार्थना पत्र का अंग समझा जावे। तथा प्रार्थीगण को नजरी नक्शे मे लाल रंग से वर्णित अ से ब भाग खसरा नम्बर 283/6 मे से रास्ता 20 फुट चौडा तथा लगभग 95 फुट लम्बा पश्चिमी मांठ के सहारे रास्ता दिया जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया। इन तमाम परिस्थितियों मे प्रार्थीगण के पास माननीय न्यायालय मे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। इसलिए माननीय न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

प्रार्थी गण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को कार्यालय समय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वार वकालतनामा पेश किया गया जबाव हेतु अनेक अवसर दिये गये प्ररन्तु जबाव प्रार्थना पत्र पेश नही किया जाने के कारण उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर बहस सुनी गई तहसीलदार लूणी द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गयी जो शामिल मिसल हैं। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का समर्थन करती हैं ।

पत्रावली मे बहस सुनी गयी बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। मौका फर्द दिनांक 12.01.2024 के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते का खसरा संख्या 283/3 मे जाने के लिए खसरा संख्या 283/6 मे से चौडाई 20 फीट का रास्ता जो कि प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

ऐसी स्थिति मे धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्पष्ट प्रावधान है कि किसी खातेदार की जोत मे पहुचने का कोई रास्ता न हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव होने एव रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने पर लधुतम एव निकटतम मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के प्रावधान है। उक्त प्रकरण मे प्रार्थी के अभिवचन /बहस एव तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः—प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि मौका फर्द दिनांक 12.01.2024 मे वर्णित प्रस्तावित रास्ता जो खसरा नम्बर 283/6 राजस्व ग्राम गुडा विश्नोईयान के रूप मे दर्शित किया है उसे 20 फुट रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड एव नक्शे मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज कर मौके पर कायम करे एवं प्रार्थीगण उक्त रास्ते की प्रतिफल की राशि जो हल्का पटवारी मे अंकित है वह प्रार्थीगण द्वारा प्रतिफल राशि के चैक अथवा डी,डी बनाकर तहसीलदार लूणी के समक्ष प्रस्तुत करे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी की जावे। एवम् मौका फर्द दिनांक 12.01.2024 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जावेंगी । आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(पुखराज कांसोटिया RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी